न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 28/16/अपील
मूली देवी पत्नी श्री धन्नाराम उम्र 68 वर्ष जाति अहीर नि. चारणवास तन हुडील तहसील नावां जिला नागौर

—अपीलार्थीनी

ब ना म

1. ग्राम पंचायत, खूड़ प.सं. दांतारामगढ जिला सीकर जरिये सरपंच ग्रा.पं. खूड़ प.सं. दांतारामगढ जिला सीकर
2. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

— रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 1676 अस्वीकृत दिनांक 07.09.2016
ग्राम पंचायत, खूड़ प.सं. दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति—
1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील अपीलार्थीनी की ओर से

निर्णय दिनांक— 25.01.2017

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त भूमियां खसरा नं. 439 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 440 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 441 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 442 रकबा 0.29 है. किता 4 कुल रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है जो कि संपूर्ण रकबा की भूमि को अपीलार्थीनी ने जरिये रजिस्टड विकय पत्र दिनांक 25.05.2016 को खातेदार बृजमोहन पुत्र भंवरलाल, दाखदेवी धर्मपत्नी मूलसिंह, चौथमल, श्यामसिंह, प्रदीप, शिवराजसिह पुत्रगण मूलसिंह, कमला, पार्वती पुत्रियां मूलसिंह, मंजूलता पत्नी इन्द्रसिंह, संदीप पुत्र इन्दसिंह, उषादेवी पत्नी प्रहलाद, रघुनाथ, भवानीसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्रगण प्रहलाद, उर्मिला पुत्री प्रहलाद, योगेन्द्र, सत्यप्रकाश पुत्रगण हनुमानसिंह, संतोष कंवर पुत्री हनुमान सिंह, नन्दू कंवर पत्नी अशोक, अभिषेक, राहुल पुत्रगण अशोक, राजकंवर पत्नी चिरंजी, ज्योति, पूजा पुत्रियां चिरंजी, हेमराज, शंकर पुत्रगण दुर्गा, पुष्पादेवी पुत्री दुर्गा समस्त जाति राणा निवासी गण जयपुर के मुख्त्यार आम शिवराजसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राणा निवासी जयपुर से खरीद कर कब्जा वास्तविक एवं व्यवहारिक रूप से प्राप्त कर लिया। उक्त विकय पत्र पंजीबद्ध पश्चात् ना.करण सं. 1676 पटवारी हल्का खूड़ द्वारा दिनांक 11.08.2016 को भरा जाकर गिरदावर हल्का की रिपोर्ट में अंकन मुताबिक विकय पत्र सही होना अंकित किया है

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

इसके पश्चात् ग्राम पंचायत, खूड़ की बैठक दिनांक 07.09.2016 को ग्राम पंचायत, खूड़ से अपीलांट की आपसी राजनैतिक द्वेषतावश प्रस्ताव सं. 3(6) के तहत उक्त ना.करण कार्यवाही को गिरदावर हल्का की जांच व रिपोर्ट मुताबिक विक्रय पत्र होने के बावजूद गलत बताकर गलत रूप से केता का ना.करण सं. 1676 दिनांक 07.09.2016 को अधीनस्थ ग्राम पंचायत, खूड़ ने अस्वीकृत कर दिया। उक्त ना.करण सं. 1676 दिनांक 07.09.2016 खारिज होने के बारे में पूर्व में अपीलार्थीनी को कोई जानकारी नहीं हो पाई। दिनांक 28.09.2016 को अपीलार्थीनी ने सरपंच, ग्राम पंचायत खूड से उक्त अपने ना.करण के बारे में पूछताछ की तो सरपंच, ग्राम पंचायत, खूड़ ने प्रार्थीनी को बताया कि तुम्हारा ना.करण हमने दिनांक 07.09.2016 को ही खारिज कर दिया है तब अपीलार्थीनी ने हल्का पटवारी खूड़ से विधिवत दिनांक 30.09.2016 को उक्त अपीलाधीन ना.करण की नकल प्राप्त की व नकल मिलने के बाद अंदर मियाद अपील प्रस्तुत है। अपीलाधीन ना.करण सं. 1676 की कार्यवाही अधीनस्थ ग्राम पंचायत, खूड़ द्वारा अमल में लाई गई है एवं विवादास्पद भूमियां वहीं पर अवस्थित होने से माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का समुचित क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 1676 दिनांक 07.09.2016 में ना. करण अस्वीकार का आदेश निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार दांतारामगढ को विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2016 के आधार पर ना.करण अपीलार्थीनी के नाम दर्ज करे को आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. ता 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अपीलार्थीनी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थीनी ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलार्थीनी ने जरिये विक्रय पत्र विवादित आराजियात खरीद की है जिसका पटवारी हल्का खूड़ द्वारा ना.करण भरकर भूअनि द्वारा जांच की गई, तत्पश्चात् नियमों के विपरीत सरपंच, ग्राम पंचायत, खूड़ तहसील दांतारामगढ द्वारा ना.करण प्रस्ताव सं. 3(6) के तहत कार्यवाही गलत बताकर ना.करण सं. 1676 दिनांक 07.09.2016 निरस्त कर दिया। अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जावें।

4. हमने वकील अपीलार्थीनी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विवादित आराजियात जरिये विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2016 के द्वारा खातेदारान से अपीलार्थीनी मूलीदेवी द्वारा क्रय की गई है। मुताबिक विक्रय पत्र पटवारी हल्का, खूड़ द्वारा दिनांक 11.08.2016 को ना.करण सं. 1676 भरा गया है जिस पर भूअनि द्वारा जांच की। अंकन मुताबिक विक्रय पत्र एवं

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

जमाबंदी के सही होना बताया गया। जिसको ग्राम पंचायत, खूड़ की बैठक दिनांक 07.09.2016 के प्रस्ताव सं. 3(6) के तहत सरपंच, ग्राम पंचायत, खूड़ द्वारा अस्वीकार किया गया। चूंकि विकय पत्र के आधार पर भरे गये ना.करण को अस्वीकार किये जाने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन ना.करण सं. 1676 दिनांक 07.09.2016 में सरपंच, ग्राम पंचायत, खूड़ द्वारा किये गये ना.करण अस्वीकार नोट को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक विकय पत्र दिनांक 25.05.2016 ना.करण नियमानुसार तस्दीक किया जावें।

5. यह निर्णय आज दिनांक 25.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner